

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी


श्री गेहरीलाल गोदीपुत्र गणेश डांगी निवासी फाचर तह. बड़ीसादड़ी
- वादी

बनाम

श्री भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)
- प्रतिवादी

प्रकरण सं. 61/2023 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री दिनेशकुमार वैष्णव की उपस्थिति में और प्रतिवादी एक पक्षीय कार्यवाही में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम देवदा की आराजी सं. 263/547, 265/555, 276, 277/565 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8300 हैक्टेयर एवं ग्राम फाचर की आराजी नम्बर 144,145,176,177,298,299,711,78 कुल किता 8 रकबा 2.44 हैक्टर भूमि वादी के खातेदारी में घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।


इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे। यह आज दिनांक 28.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।


(बिन्दुबाला राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी

कमांक/राजस्व/202 /

दिनांक:-

लेख की डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई जावे।


उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी
उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

